



(का.) 07692 - 220444

(नि.) 07692 - 220301

(फैक्स) 07692 - 220990

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक / 2188 / एस.डब्ल्यू. / 2020

// आदेश //

सिवनी दिनांक 25 मार्च, 2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली एवं म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल के द्वारा जारी निर्देशों के परिपेक्ष्य में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के नियंत्रण एवं बचाव की व्यवस्था हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी से समन्वय एवं सहायता हेतु निम्नांकित अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। उक्त अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी को आवश्यक सहयोग एवं प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य सम्पादित करेंगे।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नम्बर
01	श्री यशवंत माथुर	जिला आयुष अधिकारी सिवनी	9479505682
02	श्री विजय चौके	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी सिवनी	9993247275
03	श्री विक्रम परते	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी सिवनी	7987183294

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर
सिवनी

सिवनी दिनांक 25 मार्च, 2020

क्रमांक / 2188A / एस.डब्ल्यू. / 2020
प्रतिलिपि :-

- 1- कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर ओर सूचनार्थ।
- 2- अपर कलेक्टर सिवनी।
- 3- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन किया जाना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला आयुष अधिकारी सिवनी।
- 5- सहायक संचालक जन संपर्क सिवनी की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 6- सर्व संबंधित जिला सिवनी।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।

कलेक्टर,
जिला-सिवनी